कार्यालय जिला मैजिस्ट्रेट सहारनपुर

संख्या 340 / जे0ए0–2 दिनांक 10 मार्च, 2014

आदेश अन्तर्गत धारा–144 द0प्र0सं0

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 हेतु कार्यक्रम दिनांक 05–03–2014 को घोषित हो चुका है तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से द्विवार्षिक निर्वाचन 2014 की घोषणा भी निर्वाचन आयोग द्वारा की जा की चुकी है, जिस कारण-जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है, इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट परीक्षाएं एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय द्वारा संचालित स्नातक/स्नातकोत्तर परीक्षाएं विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर प्रारम्भ होने वाली है तथा कुछ अन्य परीक्षाएं प्रारम्भ होने वाली हैं। होली, चेन्टीचन्द, रामनवमी, महावीर जयन्ती, डा0 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म दिवस, परशुराम जयन्ती, के त्यौहार अगले दिनों में मनाये जाने है तथा लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2014 के अन्तर्गत जनपद सहारनपुर में लोक सभा क्षेत्र सहारनपुर एवं लोक सभा क्षेत्र कैराना आंशिक में मतदान दिनांक 10–04–2014 को होना है। इसके अतिरिक्त अन्य विभिन्न विभागो द्वारा आयोजित की जाने वाली चयन व प्रवेश परीक्षाओं के समय, औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, व शिक्षण संस्थानों ओर रेलवे स्टेशन आदि पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटनाये घटित की जाने की साजिश की जा सकती है, जिससे लोक परशांति भंग होने की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। प्राप्त गोपनीय सूचनाओं एवं महत्वपूर्ण संवेदनशील तथ्यों से मेरा यह समाधान हो गया है कि सी0आर0पी0सी0 की धारा–144 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में निषेधात्मक आज्ञा जनहित में लागू किया जाना अपरिहार्य हो गया है। चूँकि समय कम है, प्रकरण की संवेदनशीलता को देखते हुए समय अभाव के कारण पक्षकारों पर तामील कराया जाना सम्भव नहीं है, इस कारण एक पक्षीय आदेश पारित किया जाता है।

इस संदर्भ में इस धारा के अन्तर्गत पूर्व में पारित आदेश संख्या 325/जे0 ए0–2 दिनांक 01–3–2014 को अवक्रमित करते हुए मैं सन्ध्या तिवारी, जिला मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर उपरोक्त समाधान के आधार पर लोक व्यवस्था कायम रखने हेतु तथा प्रजा तांत्रिक मूल्यों के रक्षण हेतु शांति व्यवस्था की दृष्टि से निम्न आदेश पारित करती हूँ:–

1– कोई भी व्यक्ति/राजनैतिक दल आदर्श आचार संहिता उल्लंघन नहीं करेगा।

2– सभी राजनैतिक दल या उम्मीदवार द्वारा कोई ऐसा कार्य नहीं किया जायेगा जो विभिन्न जातियों और धार्मिक या भाषायी समुदायों के बीच विद्यामान मतभेदों को बढाये और घृणा की भावना उत्पन्न करेंगे।

3– सभी राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार किसी अन्य अभ्यर्थी के व्यक्तिगत जीवन की आलोचना नहीं करेंगे।

4– सभी राजनैतिक दल मत प्राप्त करने के लिये जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं की दुहाई नहीं देगा, मजिस्दों, गिरजाघरों, मन्दिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के लिये मंच के रूप में उपयोग नहीं करेंगे।

5– सभी दलों और उम्मदीवारों को ऐसे कार्यों को नहीं करना होगा जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध है जैसे–मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदाताओं को अभिग्रस्त करना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर के भीतर मत संयाचना करना, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय को खत्म होने वाली 48 घन्टों की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभायें करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्रों तक ले जाना और वहां से वापस लाने जैसा कार्य नहीं करेंगे।

6– सभी राजनैतिक दल या उम्मीदवार को किसी व्यक्ति के घर के सामने विचारों का विरोध करने के लिये उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजित नही करेंगे।

7– सभी राजनैतिक दल या उम्मीदवार को ध्वज दण्ड बनाने ,ध्वज दण्ड टांगने ,सूचनाए चिपकाने,नारे लिखने आदि के लिए किसी व्यक्ति की भूमि भवन, आहते ,दिवार आदि को उसकी अनुमति के बिना उपयोग करने की अनुमति अपने अनुयायियों को नही देंगे।

8– सभी राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों एवं उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं, जुलूसों आदि में बाधायें उत्पन्न नहीं करेंगें न उन्हें भंग करेंगे। एक राजनैतिक दल के

कार्यकर्ताओं या शुभचिन्तकों को दूसरें राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने दल के परचे वितरित करके गडबडी पैदा नही करेगें तथा किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नही जे जायेगें, जिन स्थानों पर दूसरें दल द्वारा सभाये की जा रही हो, एक दल द्वारा लगाये गये पोस्टर दूसरें दल के कार्यकर्ता द्वारा नही हटाये जायेंगे।

9– सभी राजनैतिक दल या उम्मीदवार को किसी प्रस्तावित सभा के स्थान और सभा के बारें में स्थानीय पुलिस को सूचित किये बिना तथा सक्षम प्राधिकारी से पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना कोई सभा आयोजित नहीं करेंगे।

10– सभी राजनैतिक दल या उम्मीदवार यह सुनिश्चित किये बिना कोई सभा नहीं करेंगे कि जिस स्थान पर सभा करने का प्रस्ताव है वहां पर कोई निरोधात्मक या प्रतिबन्धात्मक आदेश तो लागू नहीं है। यदि ऐसे कोई आदेश लागू हों तो उनका कड़ाई के साथ पालन किया जाये। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित हो तो उसके लिए समय से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन किये बिना कोई सभा नहीं करेंगे।

11– सभी राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार सभी प्रकार के लाउडस्पीकर के प्रयोग के बारें में या अन्य सुविधा के लिए पर्याप्त समय के पश्चात आवेदन नहीं करेंगे।

12– सभी राजनैतिक दल या उम्मीदवार को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं के पुतले लेकर नहीं चलने और न ही सार्वजनिक स्थान पर उनकों दहन एवं प्रदर्शन नहीं करेंगे।

13– सभी राजनैतिक दल के मंत्रीगण/संसद सदस्य/सदस्य विधान सभा आदि दौरों व बैठकों के दौरान निजि वाहन/टैक्सी में लालबत्ती हूटरों का प्रयोग नही करेगें तथा न ही सरकारी मशीनरी एवं सरकारी तन्त्र का प्रयोग करेंगे।

14– कोई भी व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी/संबंधित उप जिला मैजिस्ट्रेट/नगर मैजिस्ट्रेट, अपर जिला मैजिस्ट्रेट, जिला मैजिस्ट्रेट,आयुक्त अथवा शासन की अनुमति के बिना ऐसे जुलूस/सभा/ सम्मेलन, धरना–प्रदर्शन तथा रैली आदि आयोजित नहीं करेगा। परन्तु धार्मिक जूलूसों, धार्मिक कार्यक्रमों पर यह प्रतिबन्ध लागू नही होगा, परन्तु आयोजनकर्ता को आयोजन से पूर्व संबंधित मैजिस्ट्रेट को अवगत कराना होगा।

15– कोई भी व्यक्ति/व्यक्तियों का समूह जनपद में शांति व्यवस्था भंग करने संबंधी कोई कार्य नहीं करेगा तथा न किसी ऐसे व्यक्ति/व्यक्तियों का सहयोग करेगा जो शांति व्यवस्था कुप्रभावित करने का कृत्य कर रहे है अथवा ऐसे कार्य करने में संलिप्त है ।

16– कोई भी व्यक्ति शस्त्र लेकर जनपद में भ्रमण नहीं करेगा और शस्त्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करेगा। शस्त्र की परिभाषा के अन्तर्गत लाठी, डण्डा, छड़ी, नुकीले एवं धारदार हथियार जैसे–चाकू, भाला, बरछी, तलवार, छूरा व अन्य आग्नेयास्त्र तथा विस्फोटक एवं आपत्तिजनक सामग्री जैसे–पटाखा, राकेट आदि समाविष्ट होगा।

17– कोई भी व्यक्ति विस्फोटक पदार्थ विनाशकारक सामग्री आदि का जिला मैजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना न तो भण्डारण करेगा और न ही उसके साथ भ्रमण करेगा। इस प्रतिबन्ध से जिला मैजिस्ट्रेट, पुलिस कर्मी अथवा अपने दायित्वों के निर्वहन की प्रकिया में शस्त्र धारण करने वाले अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी मुक्त होगें। इसके अतिरिक्त लाठी, डण्डा लेकर भ्रमण करने वाले वृद्व एवं विकलांग व्यक्ति भी मुक्त होगें।

18– परीक्षार्थियों एवं परीक्षा कार्य में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा परीक्षा केन्द्र के 200 गज की परिधि में पांच से अधिक व्यक्ति किसी भी स्थान पर न तो एकत्रित होगें और न ही समूह में विचरण करेगें।

19– कोई भी व्यक्ति जनपदीय सीमा के अन्तर्गत अनुचित मुद्रण, फोटो स्टेट तथा अवैध प्रकाशन कर परीक्षार्थियों एवं अन्य किन्ही भी व्यक्तियों को गुमराह नहीं करेगा।

20– परीक्षा केन्द्रों, छात्रावासों, एवं चिकित्सालय के आस–पास ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबधित रहेगा तथा अन्य स्थानों पर ध्वनि विस्तारक यन्त्रों अनुमन्य ध्वनि निर्धारित समय समय के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन पश्चात ही प्रयोग किया जा सकेगा। परिक्षार्थियों को किसी भी प्रकार के शस्त्रादि लेकर परीक्षा स्थल की परधि में जाना प्रतिबन्धित रहेगा।

21– कोई भी व्यक्ति एवं राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार किसी भी सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं पहुँचायी जायेगी। यदि कोई सार्वजनिक अथवा निजी सम्पत्ति क्षतिग्रस्त की जाती है तो आयोजक से क्षतिपूर्ति की वसूली तथा उनके विरुद्व विधिक कार्यवाही भी की

जायेगी, सार्वजनिक सम्पत्ति, सार्वजनिक भवन एवं सरकारी भवनों, नगर स्थानीय निकाय की सम्पत्तियों का, विशेषकर बिजली के खम्भे, सार्वजनिक पुल, मार्ग आदि का प्रचार प्रसार हेतु विरूपण नहीं करेगा।

22– परीक्षार्थियों द्वारा परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर सेलुलर फोन, पेजर या अन्य कोई इलेक्ट्रानिक वस्तु लाने–ले–जाने को प्रतिबन्धित किया जाता है जब तक कि इस प्रकार की कोई सामग्री परीक्षा केन्द्र के अन्दर लाने की अनुमन्यता न हो।

23– उपरोक्त वर्णित आदेश में शर्तों का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

24– उक्त आदेश दिनांक 10–03–2014 की सांय 05–00 बजे से दिनांक 15–04–2014 तक प्रभावी होगा यदि इसे अधोहस्ताक्षरी अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त न कर दिया जावे अथवा वापस न ले लिया जावे।

इस आदेश का प्रचार–प्रसार कलेक्ट्रेट के समस्त कार्यकारी मैजिस्ट्रेट के न्यायालयों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के कार्यालय, पुलिस थाना कार्यालय, एवं तहसील मुख्यालयों के कार्यालयों तथा अन्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराकर एवं इनके अधिकारियों द्वारा मुश्तहरी कराकर भी कराया जायेगा।

अतः आज दिनांक 10–03–2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं मुद्रा से मुद्रित होकर जारी किया गया है।

DISTRICT MAGISTRATE

(सन्ध्या तिवारी)
जिला मैजिस्ट्रेट
सहारनपुर

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपिः– आयुक्त, सहारनपुर मण्डल,सहारनपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ
पुलिस उप महानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर की सेवा में सादर सूचनार्थ
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर
2– मुख्य विकास अधिकारी, सहारनपुर।
3– अपर जिला मैजिस्ट्रेट (प्रशासन)/(वित्त एवं राजस्व),सहारनपुर।
4– पुलिस अधीक्षक नगर/देहात, सहारनपुर
5– नगर मैजिस्ट्रेट, सहारनपुर/समस्त उप जिला मैजिस्ट्रेट/तहसीलदार,जनपद सहारनपुर।
6– उप निदेशक, सूचना, सहारनपुर
7– अन्य समस्त संबंधित अधिकारियों को ।
8– नाजिर सदर कलेक्ट्रेट सहारनपुर को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

10.3.14
(सन्ध्या तिवारी)
जिला मैजिस्ट्रेट
सहारनपुर